केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली, 22.03.2017

**सीबीआई ने इण्डियन बैंक को 42.17 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर प्राइवेट फर्म के प्रबन्ध निदेशक एवं पाँच अन्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया**

सीबीआई ने इण्डियन बैंक को 42.17 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि पहुँचाने पर त्रिरूचेन्गोड़े (तमिलनाडु) की प्राइवेट फर्म के प्रबन्ध निदेशक ; तीन निदेशकों ; एक पूर्व निदेशक एवं उक्त प्राइवेट फर्म के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 व 471 एवं उनके प्रमुख अपराधों के तहत मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कोयम्बटूर (तमिलनाडु) की अदालत में आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने इण्डियन बैंक, त्रिरूचेन्गोड़े शाखा, त्रिरूचेन्गोड़े (तमिलनाडु) को 42.15 करोड़ रू. (लगभग) राशि की जालसाजी से सम्बन्धित शिकायत पर त्रिरूचेन्गोड़े की प्राइवेट फर्म के प्रबन्ध निदेशक व तीन निदेशकों एवं उक्त प्राइवेट फर्म (त्रिरूचेन्गोड़े में सी.टी.डी बार/ टी.एम.टी. बार निर्माण के व्यवसाय में संलग्न) और अन्य अज्ञातों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 420, 468 एंव 471 के तहत दिनांक 23.02.2016 को मामला दर्ज किया।

जाँच से पता चला कि उक्त आरोपियों ने वर्ष 2008 से वर्ष 2014 तक की अवधि के दौरान, उक्त प्राइवेट फर्म के झूठे/ जाली वित्तीय विवरणों को जमा कर बैंक से क्रेडिट सुविधाओं की प्राप्ति के मामले में इण्डियन बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के लिए कथित रूप से आपस में आपराधिक षड़यंत्र किया। उक्त षड़यंत्र के अनुसरण में, आरोपियों ने कथित रूप से वर्ष 2008 से 2014 के दौरान 38.75 करोड़ रू. (लगभग) तक की अयोग्य उच्च ऋण सुविधाएं उन्हे मंजूर करने में इण्डियन बैंक को उकसाया व जालसाजी की।

जाँच के पश्चात, आरोप पत्र दायर किया गया।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जाँच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

**********